## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)
## परिपत्र

क्रमांक 124 / दो–11–4 / 96 इंदौर, दिनांक 14-9-2023

प्रायः यह देखने में आया है कि कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, एरियर, पदोन्नति, अभ्यावेदन एवं अन्य विषयों से संबंधित अभ्यावेदन / प्रकरण इत्यादि जिला स्थापना पर गठित विभिन्न समितियों से प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किये जाने के पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अतः संबंधित लेखापाल / सहायक लेखापाल तथा उनके सहायक लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, एरियर, पदोन्नति, अभ्यावेदन एवं अन्य विषयों से संबंधित गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त करने के पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं बिना अनुमोदन के कोई भी मामला सीधे समिति की ओर प्रेषित नहीं किया जावे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

sd/-
(बी.पी. शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 6698 / दो–11–4 / 96 इंदौर, दिनांक 15/9/23

प्रतिलिपि–

01. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, जिला न्यायालय, इंदौर (म.प्र.) की ओर ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
02. कोर्ट मैनेजर / प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. लेखापाल / समस्त सहायक लेखापाल, जिला न्यायालय, इंदौर की ओर पालनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, इंदौर की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वे ई–मेल / अन्य संचार माध्यम से केवल संबंधितों को सम्प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

15/09/2023

वास्तेः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)

Received
15/09/23